20रु. कोर्ट फीस Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

बिलोपित

25

समक्ष मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्र. क्र.   / /2016   नि.प्र. 9296-I-16

हल्के कुम्हार पुत्र श्री गोकुल कुम्हार

आयु 50 वर्ष, व्यवसाय– कृषि,

निवासी–रानीबाग रोड आगरा मोहल्ला

पन्ना म0 प्र0

.....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1 म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर पन्ना

2 नगर पालिका पन्ना द्वारा मुख्य

नगर पालिका अधिकारी पन्ना

......रेस्पोंडेट

श्री राजेन्द्र जैन अभि0 द्वारा आज दि. 21-12-16 को प्रस्तुत

21-12-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
839

आवेदन पत्र वास्ते आदेश दिनांक 20/10/2016 मे सुधार किये जाने

श्रीमान महोदय,

आवेदक/निगरानीकर्ता की ओर से आवेदन निम्नींकित प्रस्तुत है–

1 यहकि, निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला पन्ना के प्रकरण क0 3/निगरानी/11–12 मे पारित आदेश दिनांक 29/02/2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की। जो माननीय न्यायालय के यहाँ प्रकरण क0 1167/I/2016 निगरानी दर्ज हुई

2 यहकि, उक्त प्रकरण मे न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 20/10/2016 को अंतिम रूप से आदेश पारित किया जिसमे त्रुटिवश पद क0 2 की तृतीय पंक्ति मे भूमि का बंटन के उपरान्त ईट भट्टा निर्माण लेखबद्ध हो गया, जबकि उक्त स्थान पर कृषि शब्द लिखा जाना था। इसी प्रकार पद क0 4 की द्वितीय पंक्ति मे तहसीलदार पन्ना के उपरान्त 04/05/2006 अंकित हो गया है जबकि वास्तविक दिनांक 04/06/2005 है। इस कारण उपरोक्त स्थान पर तहसीलदार पन्ना के उपरान्त का आदेश दिनांक 04/06/2005 तथा चतुर्थ पंक्ति मे अपर कलेक्टर सागर अंकित हो गया है जबकि अपर कलेक्टर पन्ना है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्र0 M9296–एक / 16 सुधार जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारो एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर
02.01.17	प्रकरण क्र0 निगरानी 1167 / दो / 2016 मे पारित आदेश दिनांक 20 / 10 / 2016 के पद क्र0 2 की तृतीय पंक्ति मे बंटन के उपरान्त ईंट भट्टा निर्माण लिखा है जिसे सुधार कर उसके स्थान पर कृषि प्रयोजन किया जाता है। इसी प्रकार पद क्र0 3 की चतुर्थ पंक्ति मे प्रकरण क्र0 29 / अ–19ब / 92–93 लिखा है के स्थान पर 14 / अ–19ब / 92–93 किया जाता है तथा पद क्र0 4 द्वितीय पंक्ति मे तहसीलदार पन्ना 04 / 05 / 2006 लिखा है को सुधार कर तहसीलदार पन्ना के आदेश दिनांक 04 / 06 / 2005 किया जाता है एवं चतुर्थ पंक्ति मे अपर कलेक्टर सागर को सुधार पर अपर कलेक्टर पन्ना किया जाता है। उपरोक्त आदेश दिनांक 20 / 10 / 2016 मे सुधार कर संशोधन उपरोक्तानुसार पढा जावे। पक्षकार सुचित हो प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (मनोज सिंह) सदस्य	